

उ.खं. 13/19

18/10/19

मिलने पर। अधिवक्ता जमीन 340/
 जमीन पर न जमीन अधिवक्ता की
 बहाल हुनी गई। बाद बहाल हुन
 एलायन्स का अक्लोकन किया व गहन
 मकान के बाद डा. पत्र 0-9-R-7 सि.प्र.सि.
 लीका किया जाल है एवं दो तरफ
 कर्मकारी के कोदर प्रिये जाल है। डा. पत्र
 मूलवादा के लक्ष्य संलग्न किया जावे।
 डा. पत्र फॉलड सुभा विक्टर नमर 6
 कर लें

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 बंगालूर जिला भीलवाडा (राज.)

